

[Shri S. C. Jamir]

in Notification No. G.S.R. 2494  
(English version) and G.S.R.  
2498 (Hindi version) in Gazette  
of India dated the 1st November  
1969.

[Placed in Library. See No. LT-2215/69].

12.34 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF  
SCHEDULED CASTES AND SCHE-  
DULUED TRIBES

FIRST REPORT

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar): I  
beg to present the First Report of the Com-  
mittee on the Welfare of Scheduled Castes  
and Scheduled Tribes on the Department of  
Social Welfare—Re-organisation of the  
Offices of the Commissioner for Scheduled  
Castes and Scheduled Tribes and Director  
General, Backward Classes Welfare.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष  
महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आइटम  
नम्बर 6 के ऊपर जिस में अनुसूचित जातियों  
तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी  
समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया  
गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो टेबल पर प्रस्तुत  
कर दिए गए, इन में व्यवस्था का प्रश्न कहां से  
आया ?

श्री मोलहू प्रसाद : टेबल पर प्रस्तुत किए  
गए लेकिन जो आज से 6 महीने पहले  
अप्रैल में प्रस्तुत किया गया था उसका क्या  
हुआ ? पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट जो  
आई थी उस पर आज तक चर्चा नहीं हो पाई।  
हम तंग आ गए उस के लिए मांग करते  
करते। यह सारी कमेटियों की रिपोर्टें और  
आयोगों की रिपोर्टें जो आती हैं उन पर यहां  
चर्चा नहीं होती तो यहां रखने और फिर  
रद्दी की टोकरी में डाल देने से फायदा क्या  
है ? कम से कम पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट  
जो यहां रखी गई थी उस पर चर्चा होनी

चाहिए थी लेकिन आज तक सरकार उस के  
ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।  
यह सारी संसदीय समितियों की रिपोर्टें  
यहां इसी तरह रख दी जाती हैं। और फिर  
कभी उन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया  
जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप की बात सुन  
ली है। लेकिन यह तो यहां ले ली गई है।  
इस के बाद आप कोई नोटिस बगैरह देंगे  
कि डिस्कस करना है तो उस को जरूर सोचा  
जायगा। इस वक्त जनरल डिस्कशन इस पर  
नहीं हो सकता है। अगर आप इसके बारे में  
स्पेसिफिक नोटिस देंगे तभी वह चीज  
आयगी।

श्री मोलहू प्रसाद : नोटिस मैं ने दिया था।  
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि विचार  
करेंगे। मैं हर सेशन में रेज करता हूं  
इस सवाल को और वह यही कहते हैं कि विचार  
कर रहें हैं। तो आप इस के बारे में मंत्री महोदय  
से जानकारी लें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जानकारी मैं  
उन से लूंगा।

12.37 hrs.

CENTRAL SILK BOARD (AMEND-  
MENT) BILL—contd.

MR. SPEAKER: The House will now  
take up further consideration of the Central  
Silk Board (Amendment) Bill. Chowdhary  
Ram Sewak will continue his speech.

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI  
RAM SEWAK): Sir, in my reply last  
evening....

श्री हुकम चन्द कठुबाय (उज्जैन) : आप  
तो हिन्दी में बोलिए।

श्री राम सेवक : कभी हिन्दी कभी अंग्रेजी  
दोनों में होना चाहिए।